



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022022-233104
CG-DL-E-03022022-233104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35|
No. 35|

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3, 2022/माघ 14, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 2022/MAGHA 14, 1943

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2022

किसी भी अन्य स्रोत अथवा भंडार से प्राप्त विद्युत से परिपूरित, ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 23/05/2020-आरएण्डआर.— 1.0 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अंतर्गत कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजनाओं से परिपूरित, ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों को दिनांक 22 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-I - खण्ड-I) में प्रकाशित संकल्प संख्या 23/05/2020-आरएण्डआर के द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-I - खण्ड-I) में प्रकाशित संकल्प संख्या सं. 23/05/2020-आरएण्डआर दिनांक 03 नवंबर, 2020 और 05 फरवरी, 2021 के द्वारा संशोधित किया गया है।

2.0 दिनांक 03 नवंबर, 2020 और 05 फरवरी, 2021 को संशोधित 22 जुलाई, 2020 के उक्त दिशानिर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2.1 पैरा संख्या 6.4 - "बोली मापदंड के रूप में भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ: बोली मूल्यांकन मापदंड प्रति यूनिट आरटीसी विद्युत की आपूर्ति के लिए भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ होगा। खरीदार बोलियां आमंत्रित करेगा जिसमें

बोलीदाता रु./किलोवाट घण्टे में प्रथम वर्ष के भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ का उल्लेख करेगा। उद्घृत टैरिफ के चार भाग होंगे- निर्धारित घटक [अक्षय ऊर्जा (निर्धारित), गैर-अक्षय ऊर्जा (निर्धारित)] और परिवर्तनीय घटक [गैर-अक्षय ऊर्जा (ईंधन हेतु वृद्धिकारी) और गैर-अक्षय ऊर्जा (परिवहन हेतु वृद्धिकारी)]। अक्षय ऊर्जा और गैर-अक्षय ऊर्जा की टैरिफ का निर्धारित घटक पीपीए की अवधि को प्रत्येक वर्ष के उद्घृत किया जाएगा। गैर-अक्षय ऊर्जा की परिवर्तनीय घटक शुरू होने की निर्धारित तारीख पर उद्घृत किया जाएगा। लेवलीकृत टैरिफ बोलीदाता द्वारा उद्घृत ईंधन के प्रकार के लिए सीईआरसी वृद्धिकारी संसूचकों का उपयोग कर प्राप्त की जाएगी और बोली दस्तावेजों में छूट के धारक का उल्लेख किया जाएगा। बोलीदाता के अक्षय ऊर्जा एवं गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का अनुपात जिसकी आपूर्ति करने का वह इच्छुक है, भी उद्घृत करना होगा। प्रति यूनिट आपूर्ति की भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ पीपीए की अवधि के लिए और अक्षय ऊर्जा स्रोतों एवं गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के अनुपात पर प्राप्त की जाएगी।

बोलीदाता का चयन न्यूनतम उद्घृत "भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ" के आधार पर होगा। न्यूनतम भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ (जिसे एल1 टैरिफ कहा गया है) का उद्घृत करने वाले बोलीदाता (जिसे एल1 बोलीदाता कहा गया है) को उसके द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत की मात्रा का आवंटन किया जाएगा। यदि आवंटित विद्युत की मात्रा करार की जाने वाली विद्युत की कुल मात्रा से कम है, तो शेष पात्र बोलीदाताओं से उनके टैरिफ का मिलान एल1 टैरिफ से करने के लिए कहा जाएगा। सबसे कम बोली लगाने वाला वह मूल बोलीदाता, जो एल1 टैरिफ से मिलान करने के लिए सहमत हो, उसे शेष मात्रा या उसके द्वारा प्रस्तावित की गई मात्रा, जो भी कम हो, आवंटित की जाएगी। यदि फिर भी कोई मात्रा शेष है, तो अगले मूल न्यूनतम बोलीदाता और आगे इसी क्रम में इसका आवंटन किया जाएगा।"

को निम्नानुसार पढा जाए :

"6.4 बोली मापदंड के रूप में भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ: बोली मूल्यांकन मापदंड प्रति यूनिट आरटीसी विद्युत की आपूर्ति के लिए भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ होगा। खरीदार बोलियां आमंत्रित करेगा जिसमें बोलीदाता रु./किलोवाट घण्टे में प्रथम वर्ष के भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ का उल्लेख करेगा। उद्घृत टैरिफ के चार भाग होंगे- निर्धारित घटक [अक्षय ऊर्जा (निर्धारित), गैर-अक्षय ऊर्जा (निर्धारित)] और परिवर्तनीय घटक [गैर-अक्षय ऊर्जा (ईंधन हेतु वृद्धिकारी) और गैर-अक्षय ऊर्जा (परिवहन हेतु वृद्धिकारी)]। अक्षय ऊर्जा और गैर-अक्षय ऊर्जा की टैरिफ का निर्धारित घटक पीपीए की अवधि को प्रत्येक वर्ष के उद्घृत किया जाएगा। गैर-अक्षय ऊर्जा की परिवर्तनीय घटक शुरू होने की निर्धारित तारीख पर उद्घृत किया जाएगा। लेवलीकृत टैरिफ बोलीदाता द्वारा उद्घृत ईंधन के प्रकार के लिए सीईआरसी वृद्धिकारी संसूचकों का उपयोग कर प्राप्त की जाएगी और बोली दस्तावेजों में छूट के धारक का उल्लेख किया जाएगा। बोलीदाता के अक्षय ऊर्जा एवं गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का अनुपात जिसकी आपूर्ति करने का वह इच्छुक है, भी उद्घृत करना होगा। प्रति यूनिट आपूर्ति की भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ पीपीए की अवधि के लिए और अक्षय ऊर्जा स्रोतों एवं गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के अनुपात पर प्राप्त की जाएगी।

बोलीदाता का चयन न्यूनतम उद्घृत "भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ" के आधार पर होगा। न्यूनतम भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ (जिसे एल1 टैरिफ कहा गया है) का उद्घृत करने वाले बोलीदाता (जिसे एल1 बोलीदाता कहा गया है) को उसके द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत की मात्रा का आवंटन किया जाएगा। यदि आवंटित विद्युत की मात्रा करार की जाने वाली विद्युत की कुल मात्रा से कम है, क्षमता आवंटन "बकिट फिलिंग के आधार पर किया जाएगा" अर्थात् एल1 दरों पर एल1 बोलीदाता द्वारा उद्घृत क्षमता पहले आवंटित की जाएगी, उसके बाद जब तक कि निविदा क्षमता पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है, अगले न्यूनतम बोलीदाता (जिसे एल2 बोलीदाता कहा गया है) द्वारा उद्घृत क्षमता उसके द्वारा उद्घृत दरों (जिसे एल2 दरें कहा गया है) और आगे इसी क्रम में इसका आवंटन किया जाएगा।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd February, 2022

Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from any other source or storage

No. 23/05/2020-R&R.— 1.0 The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from Coal Based Thermal Power Projects have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/05/2020-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I - Section 1) on 22nd July, 2020 and have been amended vide resolution No. 23/05/2020-R&R dated 3rd November, 2020 and dated 5th February, 2021 published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I - Section 1).

2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 22nd July, 2020 amended on 3rd November, 2020 and 5th February, 2021 namely:-

2.1 The Para No 6.4 — **“Weighted Average Levelled Tariff as the Bidding Parameter:** The bidding evaluation parameter shall be the weighted average levelled tariff per unit supply of RTC power. The Procurer shall invite bids wherein the bidder shall quote the first year weighted average levelled Tariff in Rs./kWh. The quoted tariff shall comprise of four part – Fixed component [RE power (fixed), non-RE power (fixed)] and Variable component [Non -RE power (escalable for fuel), and non-RE power (escalable for transportation)]. The Fixed component of tariff of the RE power and Non RE power shall be quoted for each year of the term of PPA. The variable component of the Non RE power shall be quoted as on scheduled date of commissioning .The levelled tariff shall be arrived at using the CERC escalation indices for the type of fuel quoted by the bidder and the discount factor to be specified in the bidding document. The bidder shall also quote the proportion of energy from RE sources and non-RE source that he wishes to supply. The weighted average levelled tariff per unit supply shall be arrived at for the term of PPA and proportion of energy from RE sources and Non RE source.

The bidder shall be selected on the basis of least quoted ‘weighted average levelled Tariff’. The bidder (called the L1 bidder) quoting the least weighted average levelled Tariff (called the L1 tariff) shall be allocated the quantum of power offered by him. If the allocated quantum of power is less than the total quantum of power to be contracted, the remaining qualified bidders will be asked to match their Tariff with the L1 tariff. The originally lowest bidder that agrees to match the L1 tariff shall be allocated the remaining quantum or the quantum offered by it, whichever is lower. If still some quantum is left, it will be allocated to the next originally lowest bidder and so on.”

May be read as under:

“6.4 Weighted Average Levelled Tariff as the Bidding Parameter: The bidding evaluation parameter shall be the weighted average levelled tariff per unit supply of RTC power. The Procurer shall invite bids wherein the bidder shall quote the first year weighted average levelled Tariff in Rs./kWh. The quoted tariff shall comprise of four part – Fixed component [RE power (fixed), non-RE power (fixed)] and Variable component [Non -RE power (escalable for fuel), and non-RE power (escalable for transportation)]. The Fixed component of tariff of the RE power and Non RE power shall be quoted for each year of the term of PPA. The variable component of the Non RE power shall be quoted as on scheduled date of commissioning .The levelled tariff shall be arrived at using the CERC escalation indices for the type of fuel quoted by the bidder and the discount factor to be specified in the bidding document. The bidder shall also quote the proportion of energy from RE sources and non-RE source that he wishes to supply. The weighted average levelled tariff per unit supply shall be arrived at for the term of PPA and proportion of energy from RE sources and Non RE source.

The bidder shall be selected on the basis of least quoted ‘weighted average levelled Tariff’. The bidder (called the L1 bidder) quoting the least weighted average levelled Tariff (called the L1 tariff) shall be allocated the quantum of power offered by him. If the allocated quantum of power is less than the total quantum of power to be contracted, the capacity allocation shall be on the basis of "Bucket filling" i.e. capacity quoted by L1 bidder at L1 rates shall be allocated first, then the capacity quoted by next lowest bidder (called the L2 bidder) at the rates quoted by him (called the L2 rates) shall be allocated and so on, till the tendered capacity is fully exhausted.”

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.